2PA

संख्या–1205 /उन्तीस(2)/12–2(14पे0)/2010

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

विषय :– **चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला योजना के स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला योजना की स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपदवार/योजनावार नि विवरणानुसार कुल ₹ 1100.00 लाख (₹ ग्यारह करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	जिला	परिव्यय		अवमुक्त की जा रही धनराशि		
		पेयजल निगम	जल संस्थान	पेयजल निगम	जल संस्थान	
1	2	3	4	5	6	H-1210300591 H-1210300592
1	नैनीताल	130.31	15.00	69.40	8.00	
2	उ0नगर	—	66.00	—	35.15	H-121030059
3	अल्मोड़ा	—	167.38	—	89.20	H 121030059
4	पिथौरागढ़	—	80.25	—	42.30	H 121030059
5	बागेश्वर	88.25	60.95	47.00	32.50	H-121030059 H 121030059
6	चम्पावत	—	55.50	—	29.60	H 121030060
7	देहरादून	20.00	103.68	10.65	55.25	H 121030060 H 121030060
8	पौड़ी	126.00	178.81	67.15	95.25	H 121030060 H 12103006
9	टिहरी	217.66	249.87	115.94	133.10	H 1210300605 H 1210300606
10	चमोली	35.00	76.95	18.64	41.00	H 1210300607 H 1210300608
11	उत्तरकाशी	129.00	118.02	68.70	62.86	H 1210300609 H 1210300610
12	रूद्रप्रयाग	55.67	90.41	29.65	48.16	H 1210300611 H 1210300612
13	हरिद्वार	—	—	—	—	
	कुल योग	801.89	1262.82	427.13	672.37	

2– ज़िला योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओं के अनुरूप ही आहरण कर सम्बन्धित योजनाओं पर व्यय किया जायेगा। परिव्यय से अधिक धनराशि के आहरण का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का ही माना जायेगा।

क्रमशः..........2.....पर.......

3– कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों अथवा बस्तियों के लाभार्थ की किया जाय तथा का स्वीकृति के उपरान्त ग्रामवार/विकासखण्डवार/जनपदवार सूची समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

4– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तराखण्ड पेयजल निगम/उत्तराखण्ड जल संस्थान के सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल सम्बन्धित जनपद के कोषागार प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार ही किया जायेगा।

5– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

6– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उ0प्र0 शासन के वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–ए–2–87(1)/दस–97–17 /75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार पेयजल निगम की योजनाओं में सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैन्टेज चार्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नही होगा। इसका कृपया कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें पेयजल निगम के आगणनों में सैन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

7– जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन0सी0 तथा पी0सी0 बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

8– स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही हैं अथवा जो विवादग्रस्त है।

9– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10– स्वीकृत धनराशि से वही कार्य किया जायेगा जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपदवार आवंटित धनराशि परिव्यय के अन्तर्गत हों तथा जिला अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः.....3... पर

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उप करके इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र श को प्रस्तुत किया जायेगा।

12– ₹ 50.00 लाख तक की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी से जारी की जायेगी तथा ₹ 50.00 लाख से अधिक की स्वी मण्डलायुक्त के अनुमोदन के उपरान्त जारी की जायेगी। स्वीकृतिय प्रस्ताव जनपद/मण्डल स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा तैयार कर अर्थ संख्या विभाग के जनपद/मण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध कराये जा जो इन प्रस्तावों को परीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी एवं मण्डलाय को प्रस्तुत करेंगे।

13– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्ष "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रा जलपूर्ति कार्यक्रम– 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पो प्लान–91–ग्रामीण पेयजल योजना तथा जलोत्सारण योजनाओं के अनुदान (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहा के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन स H---------- एवं H---------- दिनांक 12.10.2012 से आवंटित की रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 193/XXVII(1) दिनांक 30.03.2012 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनि किया जाय

14– यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश स 624/जि0ग्रो0/ रा0यो0आ0/नु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 वित्त विभाग के शासनादेश संख्या संख्या 267/XXVII(1)/2008 दि 27.03.2008 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–कम्प्यूटर आवंटन की प्रति संलग्न।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 1205(i)/उन्तीस(2)/12–2(14पे0)/2010 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुँमाऊ/गढ़वाल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/बजट सैल, उत्तराखण्ड शास
7. बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।

क्रमश:.....4...

8. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
9. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
10. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
13. निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
14. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ
15. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
उप सचिव